आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–31 / 2023	
10.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री लल्लू साव एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू उपस्थित Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–पणन पदाधिकारी, पलामू Video conference के माध्यम से उपस्थित। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे। उनके प्रतिनिधि के तौर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–पणन पदाधिकारी उपस्थित रहे लेकिन तकनीकि कारणों से उनका पक्ष आयोग नहीं जान पाया। इस बीच टेलीफोन पर उपस्थित दूसरे नंबर के शिकायतकर्ता श्री लल्लू साव ने आयोग को बताया कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद उनके शिकायतों का निदान नहीं किया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अगली सुनवाई में आयोग कार्यालय में सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें एवं शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान कर उसका प्रमाण अगली सुनवाई से पूर्व आयोग को भेजें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–20.07.2023 को रखें। 13.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx84	